भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1897
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वर्ष 2024 में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत नया सर्वेक्षण

1897. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) चरण-।। महिलाओं के नाम पर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2024 में कोई नया सर्वेक्षण किया है और दूसरे चरण के लिए लाभार्थियों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित घरों की कर्नाटक सहित राज्यवार और जिलावार संख्या क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास ' का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के तहत प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया है। विधुर/अविवाहित/जीवनसाथी से अलग हुए व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामले को छोड़कर , पीएमएवाई-जी के तहत आवास का आवंटन महिला के नाम पर या पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाता है।

(ख): भारत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं वाले 2 करोड़ पक्के आवासों की समग्र सीमा के भीतर आवास+ (2018) सूची (अद्यतन करने के बाद) और एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल में शेष पात्र परिवारों को सहायता प्रदान करके संतृप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत सरकार ने संशोधित बहि र्वेषन मानदंड का उपयोग करके इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की पहचान करने हेतु आवास+ 2018 सूची को अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया के संचालन को अनुमोदन प्रदान किया है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, इस योजना के तहत पात्र अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह सर्वेक्षण आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है जिसकी शुरूआत दिनांक 17.09.2024 को की गयी है। इस ऐप में स्व-सर्वेक्षण और पहले से पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान है। इस सर्वेक्षण की शुरूआत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वेक्षकों के पंजीकरण के साथ हुई है। इसके बाद, आवास+ 2024 परिवारों का सर्वेक्षण भी दिनांक 27.12.2024 से शुरू हो गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण को पूरा करने की प्रारंभिक समय-सीमा दिनांक 31.03.2025 है।

(ग): पिछले 3 वर्षों वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत कर्नाटक सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए/निर्मित आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

पीएमएवाई-जी के तहत, यह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को समग्र रूप से लक्ष्य आवंटित करता है और जिला-वार लक्ष्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पीएमएवाई-जी के तहत पूरे किए गए आवासों का जिलेवार , वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in---->AwaasSoft---->Reports---->Houses completed in a financial year (irrespective of target year) पर देखा जा सकता है।

अनुबंध

'वर्ष 2024 में पीएमएवाई-जी के तहत नया सर्वेक्षण ' के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान देश में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बनाए गए/निर्मित आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है-

[दिनांक 05.03.2025 तक]

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक निर्मित आवास**
1	अरुणाचल प्रदेश	31,708
2	असम	15,17,733
3	बिहार	17,32,191
4	छत्तीसगढ़	2,89,342
5	गोवा	125
6	गुजरात	2,93,478
7	हरियाणा	8,284
8	हिमाचल प्रदेश	10,142
9	जम्मू और कश्मीर	2,01,605
10	झारखंड	7,09,356
11	केरल	16,401
12	मध्य प्रदेश	17,96,917
13	महाराष्ट्र	6,30,835
14	मणिपुर	26,485
15	मेघालय	76,929
16	मिजोरम	20,171
17	नागालैंड	11,401
18	ओडिशा	6,54,139
19	पंजाब	20,774
20	राजस्थान	5,67,944
21	सिक्किम	295

22	तमिलनाडु	3,37,073
23	त्रिपुरा	3,15,330
24	उत्तर प्रदेश	21,35,299
25	उत्तराखंड	54,899
26	पश्चिम बंगाल	11,20,608
27	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	458
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,486
29	लक्षद्वीप	8
30	आंध्र प्रदेश	30,328
31	कर्नाटक	48,366
32	लद्दाख	1,598
कुल		1,26,62,708
टिप्प्णी: तेलंगाना , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , चंडीगढ़ और पुदुचेरी में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं किया गया।		